

भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मामले से संबंधित राशि का भुगतान वित्त विभाग के किसी आदेश/दुतादेश के अन्तर्गत तो नहीं किया गया है । स्वीकृत राशि तथा आवंटन से अधिक राशि की निकासी के लिए कोषागार पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

राशि की निकासी निम्नलिखित बजट शीर्ष से की जायेगी-

क्रम सं०	बजट शीर्ष
1	P 2705000010204
2	P 2705000010304
3	P 2711010010106
4	P 4700010510101
5	P 4700010510103
6	P 4700010510204
7	P 4700010510304
8	P 4700017890101
9	P 4700020510101
10	P 4700020510103
11	P 4700027890101
12	P 4700030510101
13	P 4700030510103
14	P 4700030510204
15	P 4700030510304
16	P 4700030510205
17	P 4700030510305
18	P 4700037890101
19	P 4700040510101
20	P 4700040510103
21	P 4700040510204
22	P 4700040510304
23	P 4700800050101
24	P 4700800510102
25	P 4701030510101
26	P 4701030510103

क्रम सं०	बजट शीर्ष
32	P 4711010510101
33	P 4711010510102
34	P 4711010510104
35	P 4711010510105
36	P 4711010510106
37	P 4711010510209
38	P 4711010510309
39	P 4711017890101
40	P 4711017890102
41	P 4711017890103
42	S 2700800020402
43	S 4711010510408
44	N 2700010010001
45	N 2700011010002
46	N 2700020010001
47	N 2700021010002
48	N 2700030010001
49	N 2700031010002
50	N 2701011010002
51	N 2701031010002
52	N 2701040010001
53	N 2701041010002
54	N 2701800010001
55	N 2701800010003
56	N 2701801900001
57	N 2711010010003

27	P 4701037890101
28	P 4701040510101
29	P 4701040510103
30	P 4701047890101
31	P 4701800050101

58	N 2711011030002
59	N 2711030010001
60	N 2711031030002
61	N 3451000900009

भवदीय,

ह०/-


वरीय लेखा अधिकारी,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-टी०एम०/प्राधि० पत्र (16-17) 1349 दिनांक 31-05-2016
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके पत्रांक-876 दिनांक 20.04.2016 के संदर्भ में ।
2. संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके पत्र सं०-4129 दिनांक 19.05.2016 के संदर्भ में ।

3. कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई वृषण) प्रॉडल, जल संसाधन विभाग,
पटना ।

4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना ।


वरीय लेखा अधिकारी,
बिहार, पटना